प्रेस को सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति सं. 102/2025)

तत्काल जारी करने हेतु

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने "निजी रेडियो प्रसारकों के लिए डिजिटल रेडियो प्रसारण नीति के निर्माण" पर अनुशंसाएं जारी कीं

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर 2025 – भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज "निजी रेडियो प्रसारकों के लिए डिजिटल रेडियो प्रसारण नीति के निर्माण" पर अपनी अनुशंसाएं जारी की हैं। इसके साथ ही, चार 'A+' श्रेणी के शहरों — दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई तथा नौ 'A' श्रेणी के शहरों — हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद, सूरत, पुणे, जयपुर, लखनऊ, कानपुर और नागपुर में डिजिटल रेडियो प्रसारण सेवा प्रारंभ करने हेतु शर्तें एवं आरक्षित मूल्य भी घोषित किए गए हैं।

2. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एम.आई.बी.) ने अपने 23 अप्रैल 2024 के संदर्भ के माध्यम से, भादूविप्रा अधिनियम, 1997 की धारा 11(1)(a)(i) के अंतर्गत, निजी रेडियो प्रसारकों के लिए डिजिटल रेडियो प्रसारण नीति के निर्माण पर भादूविप्रा से अनुशंसाएं मांगी थीं।

3. इस संदर्भ में, 30 सितम्बर 2024 को एक परामर्श पत्र जारी किया गया था, जिसमें निजी रेडियो प्रसारकों के लिए डिजिटल रेडियो प्रसारण नीति के निर्माण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर हितधारकों की टिप्पणियां आमंत्रित की गई थीं। इस पर कुल 43 टिप्पणियां और 13 प्रति-टिप्पणियां प्राप्त हुईं, जो भादूविप्रा की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। तत्पश्चात, 8 जनवरी 2025 को एक ओपन हाउस डिस्कशन आयोजित किया गया।

4. प्राप्त सभी टिप्पणियों/प्रति-टिप्पणियों पर विचार करने तथा मुद्दों का विस्तृत विश्लेषण करने के बाद, प्राधिकरण ने अपनी अनुशंसाओं को अंतिम रूप दिया है। अनुशंसाओं की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

क) नई प्रसारण कंपनियों द्वारा डिजिटल रेडियो सेवाओं की शुरुआत सिमुलकास्ट मोड में की जानी चाहिए। मौजूदा एनालॉग एफएम रेडियो प्रसारकों को भी स्वैच्छिक आधार पर सिमुलकास्ट मोड में माइग्रेट करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

ख) प्रस्तावित सिमुलकास्ट मोड उन्हें निर्धारित स्पॉट फ्रीक्वेंसी पर एक एनालॉग, तीन डिजिटल और एक डेटा चैनल प्रसारित करने में सक्षम बनाएगा।

ग) भारत में वी.एच.एफ. बैंड-II पर डिजिटल रेडियो प्रसारण की शुरुआत हेतु एकल डिजिटल रेडियो प्रौद्योगिकी मानक अपनाया जाना चाहिए।

घ) सरकार को भारत में लागू करने के लिए उपयुक्त डिजिटल रेडियो प्रौद्योगिकी का चयन करना चाहिए। यह चयन या तो प्रमुख हितधारकों— अर्थात् रेडियो प्रसारकों और रेडियो रिसीवर विनिर्माताओं— के साथ परामर्श करके, अथवा स्पेक्ट्रम नीलामी प्रक्रिया में तकनीक चयन को सम्मिलित कर, अथवा सरकार द्वारा उपयुक्त समझी जाने वाली किसी अन्य विधि से किया जा सकता है।

ङ) सरकार को प्रत्येक चार 'A+' श्रेणी के शहरों तथा नौ 'A' श्रेणी के शहरों के लिए एकल प्रौद्योगिकी परिदृश्य में आवृत्ति योजना (फ़्रीक्वेंसी प्लानिंग) तैयार करनी चाहिए और उसे सार्वजनिक डोमेन में रखना चाहिए।

च) नए चैनलों के लिए आवृत्ति (फ़्रीक्वेंसी) का आवंटन दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 4(4) के अनुसार नीलामी के माध्यम से किया जाना चाहिए।

छ) डिजिटल रेडियो प्रसारण हेतु नीलामी द्वारा आवृत्ति (फ़्रीक्वेंसी) के सफल आवंटन के तुरंत बाद, मौजूदा एफएम रेडियो प्रसारकों को स्वैच्छिक आधार पर सिमुलकास्ट मोड में माइग्रेट करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।

ज) मौजूदा प्रसारकों को सिमुलकास्ट मोड में माइग्रेट करने का विकल्प चुनने हेतु नीलामी प्रक्रिया की समाप्ति की तिथि से 6 माह की समय-सीमा दी जानी चाहिए।

झ) सिमुलकास्ट मोड में माइग्रेशन के लिए, मौजूदा एफएम रेडियो प्रसारकों को संबंधित शहर में डिजिटल रेडियो प्रसारण हेतु नीलामी द्वारा निर्धारित मूल्य और मौजूदा अनुमति की शेष अवधि के लिए नॉन-रिफंडेबल वन टाइम एंट्री फी (एनओटीईएफ) की अनुपातिक राशि के बीच के अंतर के बराबर राशि का भुगतान करना होगा।

ञ) रेडियो प्रसारकों को नीलामी प्रक्रिया की समाप्ति अथवा माइग्रेशन के विकल्प को स्वीकार करने की तिथि से दो वर्षों के भीतर सिमुलकास्ट संचालन प्रारंभ करना चाहिए।

ट) एनालॉग प्रसारण की समापन तिथि (सनसेट तिथि) का निर्णय डिजिटल रेडियो प्रसारण की प्रगति का मूल्यांकन करने के बाद, उपयुक्त समय पर लिया जाना चाहिए।

ठ) सरकार को 'रेडियो ब्रॉडकास्टिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर' के लिए एक नया प्राधिकार शुरू करना चाहिए, ताकि सक्रिय और निष्क्रिय डिजिटल बुनियादी ढांचे की सुविधा प्रदान की जा सके, जिसे रेडियो प्रसारकों को लीज़ पर दिया जा सके। हालांकि, यह डिजिटल रेडियो सेवाओं की शुरुआत के लिए पूर्व-आवश्यक शर्त नहीं होगी।

ड) सरकार को मोबाइल फोन और कार इंफोटेनमेंट सिस्टम में डिजिटल रेडियो रिसीवर की उपलब्धता के संबंध में एक परामर्श जारी करना चाहिए, जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(एमईआईटीवाई) द्वारा मोबाइल फोन में एफएम रेडियो रिसीवर की उपलब्धता हेतु परामर्श जारी किया गया था।

ढ) निजी स्थलीय रेडियो प्रसारकों को उपयोगकर्ता नियंत्रण के बिना अपने लाइव स्थलीय चैनलों को समानांतर रूप से स्ट्रीम करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

ण) डिजिटल रेडियो रिसीवरों के विकास एवं प्रसार तथा बाजार की गतिशीलता की देखरेख और निगरानी हेतु, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एम.आई.बी.) को एक उच्च स्तरीय संचालन समिति गठित करनी चाहिए, जिसमें एम.आई.बी., इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), रेडियो प्रसारकों, डिवाइस निर्माताओं और प्रौद्योगिकी प्रदाता के वरिष्ठ प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए।

त) डिजिटल रेडियो प्रसारण सेवा प्राधिकरण हेतु पात्रता शर्तें (न्यूनतम नेट वर्थ मानदंड सहित) वही होनी चाहिए, जो भादूविप्रा की 21 फरवरी 2025 को जारी अनुशंसाओं – "दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत प्रसारण सेवाओं के प्रावधान हेतु सेवा प्राधिकरणों का ढांचा" – में प्रदान की गई हैं।

थ) डिजिटल रेडियो प्रसारण के लिए प्राधिकार की अवधि 15 वर्ष होनी चाहिए।

द) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) द्वारा दिनांक 25-07-2011 को अधिसूचित निजी एफएम रेडियो के चरण-III के लिए नीतिगत दिशा-निर्देशों में उल्लिखित सकल राजस्व (ग्रोस रेवेन्यू) की परिभाषा को यथावत रखा गया है।

ध) यदि किसी रेडियो प्रसारक द्वारा रेडियो चैनल की स्ट्रीमिंग उपलब्ध कराई जा रही है, तो उससे प्राप्त राजस्व को ग्रॉस रेवेन्यू की परिभाषा में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

न) दूरसंचार प्राधिकरणों के समान ही समायोजित जी.आर. पर प्राधिकार शुल्क लगाया जाना चाहिए।

प) एप्लीकेबल ग्रॉस रेवेन्यू (एपीजीआर), लाइसेंसधारी के कुल ग्रॉस रेवेन्यू (जीआर) के बराबर होना चाहिए, जिसमें से वे राजस्व मदें घटाई जाएंगी जो सीधे तौर पर रेडियो प्रसारण सेवाओं से संबंधित नहीं हैं।

फ) एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) का निर्धारण, अदा किए गए किसी भी जी.एस.टी. को घटाने के बाद किया जाएगा।

ब) वार्षिक/प्राधिकरण शुल्क निम्नानुसार होगा:

(i) 'ए+', ए', बी', 'सी' और 'डी' श्रेणी के शहरों के लिए एजीआर का 4%।

(ii) 'अन्य' श्रेणी (सीमावर्ती एवं पहाड़ी क्षेत्र जैसे उत्तर-पूर्व, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख एवं द्वीपीय क्षेत्र) तथा 'ई' श्रेणी के शहरों के लिए – प्रारंभिक 3 वर्षों तक एजीआर का 2%, इसके पश्चात ऊपर वर्णित दर के समान होगा।

भ) किसी भी अधिकृत इकाई को किसी शहर में कुल स्पॉट फ्रीक्वेंसी का 40% से अधिक रखने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, साथ ही उस शहर में न्यूनतम तीन विभिन्न ऑपरेटर्स का होना अनिवार्य होगा।

म) श्रेणी ए+ और ए शहरों में एम.आई.बी. द्वारा चिन्हित कुल स्पॉट फ्रीक्वेंसियों में से प्रत्येक शहर के लिए दो नई स्पॉट फ्रीक्वेंसियों की इस चरण में नीलामी की जानी चाहिए। इन शहरों में शेष फ्रीक्वेंसियों की नीलामी इस चरण के परिणाम और रिसीवर डिवाइस ईकोसिस्टम के विकास एवं प्रसार की प्रगति की समीक्षा के बाद विचार की जानी चाहिए। डिजिटल रेडियो हेतु स्पॉट फ्रीक्वेंसी की परिभाषा प्रदान की गई है।

य) किसी शहर में एक इकाई के एकाधिक रेडियो चैनलों पर प्रसारित किए जाने वाले शैलियों के चयन को बाजार की शक्तियों पर छोड़ देना चाहिए।

र) केंद्र सरकार को स्थलीय रेडियो सेवाओं के लिए पृथक कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता अधिसूचित करनी चाहिए।

ल) यदि 24 माह की अवधि के भीतर सेवाओं का परिचालन प्रारंभ नहीं किया जाता है, तो आवंटित फ्रीक्वेंसी को वापस ले लिया जाना चाहिए और संबंधित इकाई को उसी शहर में पाँच वर्षों तक अन्य स्पॉट फ्रीक्वेंसी के आवंटन से वंचित किया जाना चाहिए।

व) प्रसार भारती को परिचालन खर्चों की पूरी वसूली करते समय रियायती किराये की दरों पर निजी प्रसारकों के साथ अपनी भूमि और टावर अवसंरचना (एलटीआई) के साथ-साथ सामान्य प्रसारण बुनियादी ढांचे (सीटीआई) को साझा करना चाहिए।

श) ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर के अनिवार्य सह-स्थान (को-लोकेशन) की शर्त को हटा दिया जाना चाहिए, और टेरेस्ट्रियल रेडियो सर्विस की अधिकृत संस्थाओं को तकनीकी और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के अनुसार प्रसारण सेवाओं, दूरसंचार सेवाओं, बुनियादी ढांचा प्रदाताओं आदि की संस्थाओं के साथ स्वैच्छिक आधार पर बुनियादी ढांचे को साझा करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

ष) 13 शहरों (श्रेणी 'ए+' और 'ए') में नए रेडियो प्रसारकों द्वारा एक साथ प्रसारण (सिमुलकास्ट) हेतु आवश्यक स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य निम्नानुसार होना चाहिए:

शहर	श्रेणी	सिमुलकास्ट हेतु स्पेक्ट्रम का आरक्षित मूल्य (₹ करोड़ में)
चेन्नई	A+	146.68
दिल्ली	A+	177.63
कोलकाता	A+	79.96
मुंबई	A+	194.08
अहमदाबाद	A	40.44
बेंगलुरु	A	87.22
हैदराबाद	A	65.85
जयपुर	A	26.89
कानपुर	A	20.52
लखनऊ	A	24.59
नागपुर	A	29.48
पुणे	A	41.26
सूरत	A	25.89

स) नई स्पॉट फ्रीक्वेंसियों के सफल बोलीदाताओं को बोली राशि के भुगतान के लिए कई विकल्प उपलब्ध कराए जाने चाहिए, जैसा कि सरकार द्वारा दूरसंचार क्षेत्र में स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए किया गया है।

ह) जो मौजूदा ऑपरेटर्स सिमुलकास्ट में माइग्रेट करते हैं, उन्हें भी माइग्रेशन राशि के भुगतान के लिए कई विकल्प उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

कक) यदि बोली राशि का भुगतान वार्षिक किस्तों में किया जाता है, तो किस्तों को 5-5 वर्षों के तीन चरणों में बढ़ाने की अनुमति दी जानी चाहिए, जिसके अंतर्गत 15 वर्षों में समान किस्तों के माध्यम से ए.डी.पी. का 66.67% वसूल किया जाएगा जिससे एनपीवी (नेट प्रेजेंट वैल्यू) की उचित सुरक्षा सुनिश्चित हो और शेष 33.33% राशि निम्नलिखित दरों पर वसूली जाएगी:

i. प्रारंभिक पाँच वर्षों में – शून्य;
ii. अगले पाँच वर्षों में – 1/3 भाग, जिसे पाँच वर्षों की अवधि में समान रूप से वितरित किया जाएगा;
iii. अंतिम पाँच वर्षों में – 2/3 भाग, जिसे पाँच वर्षों की अवधि में समान रूप से वितरित किया जाएगा;

शुद्ध वर्तमान मूल्य(एनपीवी) की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए।

खख) यदि माइग्रेशन राशि का भुगतान वार्षिक किस्तों में किया जाता है, तो किस्तों को 5-5 वर्षों के तीन चरणों में बढ़ाने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसके अंतर्गत मौजूदा अनुमति की शेष अवधि के लिए एनओटीईएफ की अनुपातिक राशि घटाकर एडीपी का 66.67% समान किस्तों में 15 वर्षों में वसूला जाएगा तथा शेष 33.33% एडीपी निम्नलिखित दरों पर वसूली जाएगी:

i. प्रारंभिक पाँच वर्षों में – शून्य;
ii. अगले पाँच वर्षों में – 1/3 भाग, जिसे पाँच वर्षों की अवधि में समान रूप से वितरित किया जाएगा;
iii. अंतिम पाँच वर्षों में – 2/3 भाग, जिसे पाँच वर्षों की अवधि में समान रूप से वितरित किया जाएगा;

शुद्ध वर्तमान मूल्य की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए।

गग) वार्षिक किस्त विकल्प या आंशिक भुगतान विकल्प की स्थिति में, एडीपी/माइग्रेशन राशि के एनपीवी की सुरक्षा हेतु किस्तों को भारतीय स्टेट बैंक की एक वर्ष की एमसीएलआर की लागू ब्याज दर पर छूट देकर निर्धारित किया जाना चाहिए।

5. डिजिटल रेडियो प्रसारण, एनालॉग रेडियो प्रसारण की तुलना में अनेक लाभ प्रदान करेगा। भादूविप्रा द्वारा इन अनुशंसाओं में प्रस्तावित डिजिटल रेडियो प्रसारण का प्रमुख लाभ यह है कि सिमुलकास्ट मोड में एक ही स्पॉट फ्रीक्वेंसी पर एक एनालॉग चैनल के अतिरिक्त तीन डिजिटल चैनल और एक डेटा चैनल प्रसारित करने की क्षमता होगी। इसमें डिजिटल रेडियो चैनल बेहतर गुणवत्ता वाली ऑडियो प्रदान करेगा, जबकि एनालॉग मोड में कैरियर फ्रीक्वेंसी पर केवल एक ही चैनल का प्रसारण संभव है। प्रतिस्पर्धी परिवेश में, डिजिटल रेडियो प्रसारण रेडियो प्रसारकों को नए अवसर उपलब्ध करा सकता है और श्रोताओं को एकाधिक श्रवण विकल्पों के साथ-साथ मूल्यवर्धित सेवाएं प्रदान कर सकता है।

6. अनुशंसाओं का पूर्ण पाठ भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है। किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए डॉ. दीपाली शर्मा, सलाहकार (प्रसारण एवं केबल सेवाएं), भादूविप्रा से दूरभाष संख्या +91-11-20907774 पर संपर्क किया जा सकता है।

अतुल चौधरी
3/10/25

(अतुल कुमार चौधरी)
सचिव, भादूविप्रा